

(भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 15.06.2010.

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए तथा मणिपुर त्रिपुरा एवं उत्तरा खंड की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार एतद्वारा सुश्री निधि मणि त्रिपाठी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम.टी. 01) की मणिपुर त्रिपुरा के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से उत्तराखण्ड के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में अन्तर संवर्ग प्रतिनियुक्ति को 15.05.2010 से 4 वर्ष की अगली अवधि के लिए अर्थात् 14.05.2014 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, बढ़ाने हेतु अनुमोदन करती हैं।

20/13/11

(आर.के.गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष : 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)

सं. 13017/32/2008 - अ.भा.से. (1)

नई दिल्ली, 15.06.2010

प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार, इम्फाल को उनके दिनांक 12.05.2010 के पत्र सं. ए/68/2002 - आई.ए.एस./डी.पी. के संदर्भ में।
2. मुख्य सचिव, त्रिपुरा, अगरतला को उनके दिनांक 17.05.2010 के पत्र सं. 10)7)/जी.ए.)पी.एण्ड.टी.)84(वोल्यूम.II), के संदर्भ में।

3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, को उनके दिनांक 20.01.2010 के पत्र सं. 2358/थर्टी-1-2010-1(4)/2005 के संदर्भ में ।
4. महालेखाकार, मणिपुर सरकार, इम्फाल ।
5. महालेखाकार, त्रिपुरा सरकार, अगरतला, ।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि वेतन प्रतिनियुक्ति की अनुमोदित अवधि के बाद किसी भी अवधि के लिए वेतन का भुगतान न किया जाए ।
7. सुश्री निधि मणि त्रिपाठी, भा.प्र.से. (एम.टी. : 01)(मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से) । वे अनुशासनिक कार्रवाई तथा सर्विस में डेक के लिए उत्तरदायी होंगी यदि वे प्रतिनियुक्ति की अनुमोदित अवधि समाप्त हो जाने पर कार्यभार नहीं सौंपती हैं ।
8. निदेशक (एस.एम.) डी.ओ.पी.टी. को उनके दिनांक 11/06/2010 के नोट संख्या 37/24/2008-ई.ओ.(एस.एम.1) के संदर्भ में ।

(आर.के.गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

### आन्तरिक वितरण

ए.आई.एस.(II)/ए.आई.एस.(III)/आर.ओ.(सी.एम.)/ई.ओ.(पी.आर.),एन.आई.सी.(अधिसूचना को सरकारी वेबसाइट पर डालने के लिए) ।